3/6/22 पत्रा. पेश हुई। अपी. व उसके अधि. उप. गई। अपी.
को उपस्थित अपने-को. 2-3 बार अवसर दिया गया
लेकिन उप. नहीं हुआ। रेस्पो. की ओर से श्री
S.D. विजय ने उप. होकर अपील अ.प.अ. के.
अपी. पे जायज ठहराने का अनुरोध किया। उपरोक्त
स्थिति में अदालत समय समाप्त होने के पूर्व पुनः अपी.
व उसके अधि. को. आमन्त्रण दिया गया लेकिन
उपस्थित नहीं कोई उप. नहीं हुए। अतः अपील अ.प.
अ. पे, अपी. पे जायज ठहराने की प्रार्थना की पत्रावली
निर्णय हेतु रखी जाकर तथ्य तथ्य पारित किया।
अपी. व्यय का आदेश लौटाया जावे।

(शंभूदयाल मिश्रा)
AO -

79/22

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा